रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3692] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2019/कार्तिक 23, 1941
No. 3692] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2019/KARTIKA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019

सं. 8/2019-केंद्रीय कर

का.आ. 4105 (अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कतीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम — इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना, आठवाँ) आदेश, 2019 है ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

"स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए वह घोषणा कि जाती है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 दिसंबर, 2019 को या उसके पहले प्रस्तुत की जा सकेगी और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2020 को या उसके पहले प्रस्तुत की जा सकेगी ।"

[फा. सं. 20/06/17/2019-जी.एस.टी.]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

ORDER

New Delhi, the 14th November, 2019

No. 08/2019-Central Tax

S.O. 4105 (E).—WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 and for the period from 1st April, 2018 to the 31st March, 2019 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Central Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Central Goods and Services Tax (Eighth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the Explanation in section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the following Explanation shall be substituted, namely: –

"*Explanation*.- For the purposes of this section, it is hereby declared that the annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 shall be furnished on or before the 31st December, 2019 and the annual return for the period from the 1st April, 2018 to the 31st March, 2019 shall be furnished on or before the 31st March, 2020. ".

[F. No. 20/06/17/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.15 15:45:25 +05'30'